गोविभा

गोविज्ञान भारती का
संदेशवाहक मासिक

वर्ष : 10 ● अंक : 9 | सम्पादक : नरेन्द्र दुबे, डॉ. पुष्पेन्द्र दुबे 20 दिसम्बर, 2012

प्रारब्धवाद

- विनोबा

अन्य देशों और अन्य धर्मो में जो नहीं है, वह एक विशेष बात भारत में चली आ रही है। वह है प्रारब्धवाद। यह माना जाता है कि पूर्व जन्मों में जो पुण्य किया है, उसके फलस्वरूप इस जन्म में संपत्ति और आराम मिलता है। जिन्होंने पाप किया है उनको गरीबी और कष्ट भोगना पड़ता है। इस दशा में कोई किसी को दोष क्यों दें ? ऐसी बहस तो चलती रहती है, पर उसमें क्या पूरी श्रद्धा है ? सच्ची श्रद्धा हो तो खेद का कारण नहीं दीखता, क्योंकि पूर्व जन्म का इस जन्म से संबंध आता है तो इस जन्म का संबंध आगामी जन्म से निस्संदेह आना ही चाहिए। इस जन्म में भाग्य से जो कुछ मिला तो मिला और न मिला तो न मिला, पर आगामी जन्म का प्रबंध करना तो हमारे हाथ में है। आगामी जन्म में सुख-आराम मिलता हो तो इस जन्म में हमें पुण्य-ही-पुण्य करना चाहिए। अगर यह बात व्यापक रूप से बन जाय तो फिर और अधिक क्या चाहिए? समाज में सुख-शांति दृढ़ मूल होगी। परंतु भाग्य के भरोसे कोई बैठा दीखता नहीं। हरएक जी-जान से खपकर सांसारिक झंझटें बढ़ा रहा है। बहुतेरे संपत्ति जोड़ने में पाप-पुण्य का ख्याल रखना भूल गए हैं। व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ने की शिकायत रात-दिन हो रही है, वह किस बात की द्योतक है ? यह मानना भी गलत होगा कि यह भ्रष्टाचार या पाप गरीब ही करते हैं, धनिक नहीं करते। वास्तव में धनिकों का पाप कम नहीं है। जब धनिक लोग भी धन कमाने में पाप करने से डरते नहीं, तब हम उनका यह प्रारब्धवाद सचमुच में दिल से है यह कैसे मानें ? अगर यह प्रारब्धवाद चलाना ही है तो गरीब लोग भी यह कह सकते हैं कि अब हमारे भी भाग्य ने पल्टा खाया है और हमारा प्रारब्ध हमें सुझा रहा है कि श्रीमानों की संपत्ति लूटकर अपना भाग्य सुधारने में बाधा नहीं है। इस प्रकार प्रारब्धवाद दुधारी तलवार बन सकती है, और चूंकि धनिकों की अपेक्षा गरीबों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए धनिकों के लिए वह खतरनाक है। गरीबों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ना भयानक है, लंबे समय तक उनकी अवहेलना हुई है। अब लक्ष्मीनारायण की जगह दरिद्रनारायण की उपासना होनी चाहिए।

- संपत्ति-दान-यज्ञ से

किसानों के द्रोही उद्योगपति

– एडवर्ड ह्याम्स

पूंजीवादी के मन में बहुत बड़े नफे की बात बसी रहती है और मार्क्सवादी को कारखानों से सम्बन्धित आबादी को खिलाने की चिंता होती है, इसलिए दोनों ही या तो इस तथ्य के अज्ञान में मग्न रहते हैं या इसके प्रति उदासीन होने का पाप करते हैं कि उनका 'वैज्ञानिक' ढीलाढाला, अकार्यक्षम और बरबादी करनेवाला है, क्योंकि वनस्पति सृष्टि का जो निरंतर 'ह्यूमस' के रूप में अपने पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण करती रहती है, लाभ उठाने के लिए प्रकृति–चक्र का चतुराई से उपयोग करने के बदले वैज्ञानिक सबसे पहले जमीन के भीतर के ह्यूमस को नष्ट कर देता है और फिर उसे भारी खर्च करके कृत्रिम खाद तैयार करने और उसे बांटने के लिए बड़े–बड़े कारखाने बनाने और चलाने पड़ते हैं। कृषक उद्योगपति यह देखकर कि कागज बनाने के लिए आवश्यक मावे के लिए लकड़ी बेचने से अधिक पैसे मिलते हैं, पेड़ों को कटा देता है। जमीन पेड़ों के बिना भी ठीक रह सकती थी, मगर कृषक उद्योगपति ने देख लिया है कि एकसाथ दस लाख एकड़ गेहूं की और दस लाख एकड़ कपास की खेती का ऊपर से दिखाई देने वाला खर्च 10 हजार मिलेजुले फार्मो से कम होता है। ...इसलिए वह प्रतिवर्ष एक ही तरह के पोषक तत्वों को जमीन से खीचंता रहता है और उनकी जगह करोड़ों मन महंगी खाद ला–लाकर डालता रहा है, क्योंकि अब उसके पास सजीव भूमि न रहकर निर्जीव धूल भर रह जाती है। ...खुली पड़ी जमीन की इस धूल को पहली हवा का झोंका उड़ाकर समुद्र में डाल देता है। ...यह तो बहुत पुरानी कथा है। पहले चीन की उपजाऊ पीली मिट्टी पर शहरी मूल्य थोपने की चेष्टा हुई, फिर उससे भी अधिक उपजाऊ सिंध की उष्ण कटिबंध वाली धरती को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बड़ी शहरी आबादियों ने बंजर और वीरान बना डाला....और इसी तरह यह कहानी चलती रही, अंत में पचास से भी कम वर्षों में अमरीकी पूंजीवादियों के लोभ और अनुशासनहीनता ने मध्य–पश्चिम के विशाल उर्वर मैदानों का नाश कर दिया, और अंत में उन्होंने मानव को स्थायी रूप से लज्जित करने वाले मरुस्थल का रूप ले लिया। किसानों के द्रोही उद्योगपतियों के कारण मनुष्य पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक रोग का घर बन गया है।

सम्पादकीय

एफडीआई की तलवार और ग्रामस्वराज्य की ढाल

पिछले दिनों भारत सरकार ने दो बड़े निर्णय लिये। एक निर्णय रिटेल में एफडीआई से संबंधित है तो दूसरा भूमि अधिग्रहण विधेयक से जुड़ा हुआ है। सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रिटेल में एफडीआई प्रस्ताव की मंजूरी ली। इसके पक्ष और विपक्ष में जनता के प्रतिनिधियों ने अपनी बात संसद के सामने रखी। रिटेल सेक्टर में एफडीआई की मंजूरी के माध्यम से सरकार ने बाजार की तलवार की धार को और अधिक तीखा कर दिया है। श्यामसुंदर दुबे के शब्दों में कहें तो उपभोगवाद का प्राणघाती नशा न तो जीने दे रहा है और न मरने ही। एक तरफ तो हम विश्व से जुड़ने में गौरव का अनुभव कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मन में घबराहट भी है। इसके परिणामस्वरूप देश में ऐसे अनेक संगठन हैं जिन्होंने इस प्रकार से विश्व में जुड़ने में हानि की आशंका जताई है। उन्हें यह लग रहा है कि एफडीआई की तलवार से गरीबों का तो गला कटेगा ही वर्तमान में व्यापार करने वाले भी अपने छोटे-मोटे व्यापार से हाथ धो बैठेंगे। वेदों के हिसाब से आज मनुष्य 'विश्व मानुष' भले ही न बना हो परंतु बाजारवाद की दृष्टि में आज का मनुष्य 'विश्व मानुष' अवश्य बन गया है।

हम यह उक्ति दोहराने में हमेशा गर्व का अनुभव करते रहे हैं कि भारत ने कभी किसी अन्य देश पर अस्त्र-शस्त्रों से हमला नहीं किया। कभी देशों की जनता पर तलवार नहीं चलायी। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह रहा कि भारत की ढाल हमेशा मजबूत रही। जिसकी ढाल मजबूत होगी वह बड़ी से बड़ी तलवार का मुकाबला करने में सक्षम होगा। यह ढाल इस देश के छः लाख गांव हैं, जिन्होंने इस देश पर होने वाले हरेक प्रकार के नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक हमलों को सहन किया है। जब भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब इस देश के ग्रामीणों को ही अपने उद्योग-धंधों से हाथ धोना पड़ा। युग पुरुष महात्मा गांधी ने अपने रचनात्मक कार्यो से विशेषकर खादी ग्रामोद्योगों से इस देश की ढाल को मजबूत करने का भागीरथ प्रयास किया। फलतः दो-ढाई सौ वर्षों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत आजाद हुआ। पहले हमारे सामने तलवार प्रत्यक्ष थी अब इस तलवार की शक्ति बाजार में चली गई है। यह शक्ति हमारे गांवों की ढाल पर सीधे प्रहार कर रही है। जिसका परिणाम ग्रामीणों द्वारा किये जा रहे हिंसक प्रतिकार और शहरी व्यापारियों के आक्रोश में हमें दिखाई दे रहा है। रिटेल में एफडीआई आने पर यह और तीव्र होगा।

दूसरी ओर सरकार ने विभिन्न संगठनों द्वारा किसानों के हित में उठायी गयी आवाज को सुनते हुए भूमि अधिग्रहण विधेयक मंजूर किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित भूमि अधिग्रहण विधेयक को हरी झंडी दे दी है। इसके कानून बनने पर इसे पांच साल पीछे से लागू करने के प्रावधान को मान लिया है। सरकारों ने शहरीकरण को तेज करने के लिए उद्योगपतियों का जिस तरह साथ दिया और जैसे-तैसे भूमि का अधिग्रहण किया, वह काफी चिंताजनक है। ऐसा मानते हुए सरकार ने अब भूमि अधिग्रहण के लिए 80 फीसद भू स्वामियों की सहमति को अनिवार्य किया है। निजी व सरकारी भागीदारी वाली परियोजनाओं की जमीन के लिए 70 फीसद भू-स्वामियों की हामी जरूरी है। लेकिन जनहित व लोकहित के नाम पर सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के बाबत किसी तरह की अनुमति अथवा सहमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। शहरीकरण के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन का 20 फीसद विकसित हिस्सा भूस्वामियों को देना होगा। इसी तरह अधिग्रहीत जमीन को बेचने पर होने वाले लाभ का 40 फीसद जमीन के मालिकों को देना होगा। अगर अधिग्रहीत भूमि पर प्रस्तावित परियोजना शुरू न हो पाई तो उसे भूमि बैंक को देने के साथ भूस्वामियों को लौटाने का भी विकल्प है, लेकिन यह अधिकार संबंधित राज्य सरकारों को सौंप दिया है। जिन किसानों अथवा भूस्वामियों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, विधेयक में उनकी सहमति को खास तरजीह दी गई है।

अब एक तरफ सरकार ने एफडीआई की तलवार को लाने की तैयारी कर ली है तो दूसरी ओर भू-अधिग्रहण विधेयक को भी मंजूर किया है। अब इस तलवार का मुकाबला मजबूत ढाल से ही किया जा सकता है। अब बाजी ग्रामीणों के हाथ में है। वे अपनी ग्रामसभाओं में ग्रामदान का संकल्प पारित कर अपने लिए सच्चा स्वराज्य हासिल कर सकते हैं। अब वे भू-अधिग्रहण के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा पाएंगे।

- डॉ.पुष्पेंद्र दुबे

इस अंक में ...

- गोरक्षण की भूमिका
- गाँधी, विनोबा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
- प्रेरक कहानियाँ
- नेहरु और पशुपालन
- स्वास्थ्य समाचार

गोरक्षण की भूमिका

- श्रीमन्नारायण

भारतीय संविधान की धारा 48 में राज्यों को यह निश्चित आदेश दिया गया है कि वे कृषि और पशु-पालन को वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने के लिए गो-संवर्धन की ओर विशेष ध्यान दे और गायों, बछड़े-बछड़ियों तथा बैलों के वध को बंद करे।

पूज्य विनोबाजी बहुत वर्षो से भारत में संपूर्ण गोवध-बंदी की मांग करते आये हैं स्वराज के पहले और बाद में भी उन्होंने कई बार इस महत्वपूर्ण विषय पर बल दिया है। जब भारत की पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही थी उस समय भी विनोबाजी ने योजना आयोग का ध्यान इस ओर स्पष्ट शब्दों में खींचा था। कृषि गो सेवा संघ की कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए पूज्य विनोबाजी ने कहा :

1. गोहत्या भारत में न हो, यह भारतीय संस्कृति का आदेश है।
2. भारतीय संविधान में गोहत्या-बंदी का निर्देश है।
3. सत्ता कांग्रेस ने गाय बछड़ा अपना चुनाव चिह्न रखा है।

विनोबाजी ने यह भी समझाया : कुरान में यह स्पष्ट आदेश दिया गया है कि हमें गाय का दूध लेना चाहिए और उसका बड़ा उपकार मानना चाहिए। बाइबिल में भी सेंट पाल का वचन है कि 'अगर मेरे साथी को मेरा मांसाहार करना बुरा लगता है तो मैं मांसाहार नहीं करूंगा।' सिखों के आखिरी गुरु हैं गोविंदसिंह। गोविंद तो गाय को मारनेवाला हो ही नहीं सकता। तात्पर्य यह है कि हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख गोवध-बंद करने के पक्ष में हैं। अत: सारे देशमें गाय की हत्या बंद होनी ही चाहिए।

यह कहना बिलकुल गलत होगा कि विनोबाजी के गोवध-बंदी संबंधी संकल्प से देश में हिंसा व अशांति का वातावरण बनेगा और समाज-विरोधी तथा सांप्रदायिक तत्व उसका लाभ उठायेंगे। ऋषि विनोबा ने स्वयं कुरान-शरीफ का बहुत गहरा अध्ययन किया है और वे अपने आपको 'मौलाना विनोबा' के नाम से भी पुकारते हैं। उन्होंने ईसाई, पारसी, सिख, जैन, बौद्ध आदि सभी मजहबों का गहन अभ्यास किया है और उनके बुनियादी सिद्धांतों के नवनीत को पुस्तकों के रूप में प्रकाशित भी किया है। इसलिए यह इशारा करना कि उनकी मांग भारत जैसे 'सेक्युलर' राज्य में अनुचित है सरासर भ्रामक होगा। पूज्य विनोबाजी की राय तो यह है कि हमारे देश में बैलों सहित संपूर्ण गोवंश का संरक्षण हो।

भारत में गोसंवर्धन का महत्व स्वाभाविक है। राष्ट्रीय आर्थिक संयोजन की नींव कृषि है, और कृषि की रीढ़ की हड्डी गाय और बैल है। कुछ वर्ष पहले जब मैं जापान गया था तब मैंने पाया कि छोटे-बड़े ट्रैक्टरों में स्थान पर वहां के किसान गाय और बैल का व्यापक उपयोग करने लगे हैं। पूछने पर जापानी किसानों ने उत्तर दिया, ''पहले हम मशीनों और कृत्रिम खादों का अधिक उपयोग करते थे। अनुभव से हमने देखा कि ऐसा करने से हमारी हजारों एकड़ जमीन बरबाद हो गयी। अब हम गाय और बैल से खेती करते हैं। ये एक प्रकार से सर्वोत्तम ट्रैक्टर है क्योंकि न तो इनके कल-पुर्जे बदलने की जरूरत होती है और न किसी विशेष मेकेनिक की। इसके अलावा गाय हमें स्वास्थ्यप्रद दूध देती है और हमारे खेतों की जमीन को अधिक उपजाउ बनाने के लिए उपयोगी गोबर भी मिल जाता है।'' फिर वहां के किसानों ने मुस्करा कर कहा : साहब, मशीनें न तो दूध देती हैं और न खाद के लिए गोबर।'' भारत में तो हम केवल गायों की पूजा करते हैं, लेकिन उनके सर्वांगीण विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। जापान में गोपालन बहुत सावधानी से किया जाता है, क्योंकि गाय वहां के ग्रामीण जीवन का अविभाज्य अंग बन गई है।

हमें यह भी भलीभांति समझ लेना है कि शासन की ओर से आवश्यक कानून बनाये जाने के बाद भी गोवध की समस्या वास्तविक तौर पर तभी हल हो सकती है जब गायों को बचानेके लिए कई प्रकार के ठोस रचनात्मक काम किए जाएं। अत: सभी रचनात्मक कार्यकर्ताओं का यह कर्तव्य हो जाता है कि देशभर में पदयात्राओं द्वारा गोसंरक्षण की भूमिका का आम जनता में व्यापक प्रचार करें ताकि देश में गोवध-बंदी के लिए योग्य वातावरण बनाया जा सके। यह ध्यान रखा जाय कि पदयात्राओं, प्रार्थना सभाओं और उपवास आदि के कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य देश की नैतिक, आध्यात्मिक व रचनात्मक शक्ति को शांतिपूर्वक जगाना है। इस जनशिक्षण कार्य में संघर्ष या राजनीति की परछाई नहीं पड़नी चाहिए।

इस दिशा में महात्मा गांधी व आचार्य विनोबाजी के सुझाये हुए

नीचे लिखे रचनात्मक कार्य उठाये जा सकते हैं -

1. भारत की गोप्रजनन नीति का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार की सर्वांगी नस्ल का विकास होना चाहिए जिसके द्वारा दूध का विपुल मात्रा में उत्पादन हो सके और हमारी कृषि के लिए अच्छे बैल भी तैयार हों। इसके बिना भारत के आर्थिक विकास को गतिशील नहीं बनाया जा सकेगा।

2. गाय का सच्चा संरक्षण तभी हो सकेगा जब वह आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बन सके। इस दृष्टि से गाय के दूध, घी आदि का व्यापक इस्तेमाल करना जरूरी है। यह काम गौरस भंडारों द्वारा सभी शहरों में करने की योजना बनायी जाय। शासन से यह भी आग्रह किया जाए कि गाय और भैंस का दूध एक ही दाम में खरीदा जाए। यह सच है कि गाय के दूध में घृतांश की मात्रा कम होती है। किंतु उसमें कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो भैंस के दूध में नहीं मिलते।

3. क्रास ब्रीडिंग के बजाय सारे देश में स्थानिक गाय की नस्लों को विकसित करने का पूरा प्रयत्न किया जाय ताकि दूध भी अधिक मिले और अच्छे बैल भी तैयार हों। अच्छे सांडों की व्यवस्था करना भी नितांत आवश्यक है।

4. गोसंवर्धन के लिए यह जरूरी है कि पशु-खुराक की पर्याप्त व्यवस्था हो। खाद्यान्न के उत्पादन के साथ ही पशुखाद्य का भी नियोजन हो। इसके लिए मिश्रित खेती की व्यापक ढंग से योजना बनायी जाए। खली आदि पशुखाद्यों का निर्यात भी बंद होना आवश्यक है।

आजकल तैयार पशुखाद्य के अनेक कारखाने बढ़ते जा रहे हैं। किंतु पशुखाद्य की शुद्धता बनाये रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना जरूरी है।

5. देशभर में अनेक गोशालाएं और पिंजरापोल हैं। उन्हें अधिक व्यवस्थित बनाना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। पूज्य महात्मा गांधी ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि प्रत्येक पिंजरापोल के साथ एक सुसज्जित चर्मालय भी होना चाहिए। उन्हें उत्तम सांड भी रखने चाहिए जो जनता के काम में आ सकें।

6. इस समय कई राज्यों में ऐसे कानून बने हैं जिनमें गोशालाओं और पिंजरापोलों की भूमि पर भी सीलिंग लगायी गयी है। इसकी वजह से इन संस्थाओं को भारी धक्का लग रहा है। राज्य सरकारों से आग्रह किया जाय कि गोसंरक्षण की दृष्टि से गोशालाओं व पिंजरापोलों पर भूमि-सीमा के नियम न लगाये जाय।

7. अनुपयोगी गायों और बैलों के लिए गांवों के नजदीक गोसदन और चरागाहों की व्यवस्था की जाय ताकि इस प्रकार के पशुओं का उचित ढंग से संरक्षण हो सके। ग्राम-पंचायतों और जिला परिषदों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से दिलाना चाहिए।

जैसा गांधीजी ने कई बार समझाया था, गोसेवा का कार्य व्यक्तिगत ढंग से करने के बजाय सहयोगी और सामुदायिक पद्धति से करना चाहिए।

8. गोसंवर्धन के साथ-साथ गुड़, तेलघानी आदि ग्रामोद्योगों का संगठन करना जरूरी है। अनुभव से यह सिद्ध हो गया है कि हमारे ग्रामीण विकास के लिए कृषि, गोसंवर्धन और ग्रामोद्योग - इन तीनों का साथ-साथ विकास करना नितांत आवश्यक है।

9. मंदिर, मठ, ट्रस्ट आदि को गोशालाएं तथा पिंजरापोल संचालित करने के लिए प्रेरित करना जरूरी है। उनके द्वारा जो संस्थाएं चल रही हैं उनकी उचित तकनीकी सहायता समय पर देना हमारा फर्ज है।

10. गोसंवर्धन का वैज्ञानिक ढंग से प्रचार करने के लिए गोप-विद्यालयों द्वारा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी करनी चाहिए।

11. गोसेवा के विचार को फैलाने के लिए उपयुक्त साहित्य प्रांतीय भाषाओं में प्रकाशित करना जरूरी है।

12. देशी और सस्ती पशु चिकित्सा को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। वर्तमान एलोपेथी की चिकित्सा बहुत महंगी होने के कारण व्यापक नहीं बन सकती है।

13. गोसंरक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक धन भी एकत्र करना होगा।

14. इस कार्य को देशभर में सुचारु रूप से चलाने के लिए अखिल भारत कृषि-गोसेवा संघ के सदस्यों की संख्या तेजी से बढ़ाना आवश्यक है। प्रांतीय संगठनों के अलावा संभवत: जिलों, तालुकों और गांवों में भी संघ की शाखाएं स्थापित करने का प्रयत्न किया जाए।

इसके अतिरिक्त स्थानिक समस्याओं के संतोषजनक हल के लिए कई और कार्य भी आयोजित किए जा सकते हैं। मुख्य बात यह है कि सरकारी कानूनों के अलावा हमें आम जनता में विधायक जाग्रति उत्पन्न करनी होगी ताकि सच्चे अर्थ में गोवंश की रक्षा हो सके और हमारा राष्ट्र उन्नतिशील और खुशहाल बन सके।

गांधी, विनोबा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ

- विश्वनाथ टंडन

इस प्रकार गांधीजी की भांति ही विनोबा जी भी संघ की संकीर्ण दृष्टि से असहमत थे। मगर फिर भी संघ के सर्वोच्च अधिकारियों के विश्वास और श्रद्धा के पात्र बने रहे थे। अपनी 12 वर्ष की लंबी भूदान-ग्रामदान पदयात्रा के बाद जब वे पहली बार वर्धा वापस हो रहे थे तो वर्धा के निकट गुरु गोलवलकर अपने कुछ साथियों के साथ उनसे 2 अप्रैल 1964 के दिन मिले थे। उस समय दोनों में एक सौहार्द्रपूर्ण लंबी बातचीत हुई थी। वह इतनी महत्वपूर्ण है कि उसका प्रासंगिक भाग यहां संक्षेप में प्रस्तुत है :

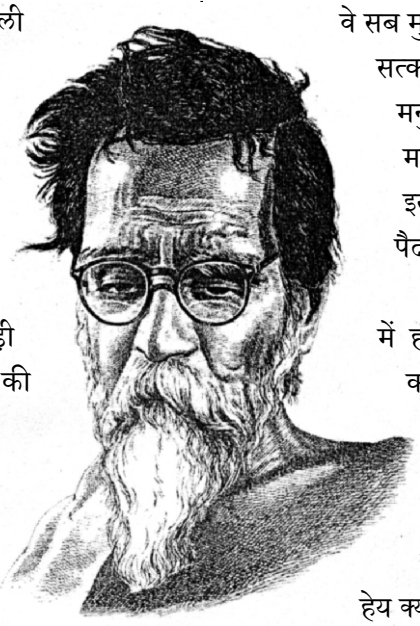

गुरुजी : देश के सामने जो अनेक समस्याएं खड़ी हैं, उनको हल करने के लिए शांति की आवश्यकता है।

विनोबाजी : आप जैसे व्यक्ति जिन्हें ईश्वर और मानव पर श्रद्धा है, हिंदुओं के संगठन की भाषा छोड़ दें। जो भारतीय हैं उन सबका संगठन करें - मुसलमान, पारसी सब को लेना है - सब धर्मो का जगह-जगह केंद्र स्थापित करें जहां सब धर्मो का अध्ययन हो। पिछले साल पूर्वी पाकिस्तान गया था तब गीता प्रवचन साथ ले गया था। उसकी 800 प्रतियां बिकीं जिनमें 300 मुसलमानों ने खरीदीं थीं। हाल ही में मैंने रूह-उल-कुरान प्रकाशित किया है - रूह यानी आत्मा। इसका मतलब यह हुआ कि जितना इस पुस्तक में है वह सार - शेष छिलका है। मैं बाईबल का सार भी निकाल रहा हूं। परंतु उसके बारे में ईसाइयों में जो कट्टरपन है वैसा कट्टरपन मुसलमानों ने कुरान-सार ग्रंथ के बारे में दिखाया नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप व्यापक बनें। मुसलमानों को बुलाएं। ऐसा व्यापक काम हम करेंगे तो भारत के अधिकांश मुसलमान अनुकूल होंगे। हिंदुओं और मुसलमानों में जो अच्छे हिंदू और मुसलमान होंगे, वे एकचित्त होंगे। इधर औरंगाबाद की तरफ नव-बौद्धों पर अत्याचार हुए किसने किए? हिंदुओं ने ही न?

गुरुजी : इन सब झगड़ों में भिन्न-भिन्न लोगों के अपने राजनीतिक स्वार्थ होते हैं। केवल धर्म के लिए कोई झगड़ा नहीं होता। झगड़ा स्वार्थ कराता है। झगड़े मिटाने हों, तो कहीं-न-कहीं से तो प्रारंभ करना होगा। हमने हिंदू धर्म से शुरू किया है। लोग इस पर आपत्ति उठाते हैं। मैं कहता हूं इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। मैं कट्टर हिंदू हूं, इसलिए दुनिया में जितने पंथ हो गये और जितने होंगे, वे सब मुझे मान्य हैं। हम केवल सहिष्णु नहीं, हम सबका सत्कार करते हैं। हिन्दू धर्म का विश्वास है, कोई भी मनुष्य जिस मार्ग से उपासना करना चाहता है, उस मार्ग से उसकी उपासना को कोई जवाब देगा। इसलिए यहां कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। प्रश्न पैदा हुआ है स्वार्थ के कारण।

हम लोगों में ही कहां एकता है ? मैं अपने लोगों में ही एकता नहीं कर पाता हूं तो दूसरों में क्या करूंगा ? परंतु यदि कोई ऐसा काम करने लग जाएं तो उसको सांप्रदायिक कहा जाता है। राजनीतिक संस्था बनाने के अभिमान को जब हेय नहीं माना जाता तो फिर पांच हजार साल पहले की संस्कृति का अभिमान कोई रखे तो उसे हेय क्यों मानना चाहिए ?

मुसलमानों में अच्छे लोग हैं। कईयों से मेरा परिचय है। व्यक्तिश: जान के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर सामाजिक प्रक्षेप पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इस परिस्थिति से रास्ता निकालना है। इसीलिए हम कहते हैं कि पांच हजार वर्ष से एक रहा यह समाज प्रथम एक होने दो। हम जाति-भेद तथा अस्पृश्यता को नहीं मानते। हमारा कहना है कि प्रथम हिन्दू समाज एक करो।

मैं मद्रास की तरफ गया था। वहां के मुसलमानों से मैंने पूछा कि क्या आप नमाज पढ़ते हैं ? तो बोले नहीं। मैंने उनसे कहा, आप प्रामाणिकता से नमाज पढ़ते हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर भिन्नता दिखाने के लिए पढ़ते हो, तो तुम्हारा-हमारा झगड़ा है। आप यहीं के हैं। फिर यहां की संस्कृति को क्यों नहीं मानते ? हम मानते हैं कि पैगंबर श्रेष्ठ पुरुष थे, फिर आप रामचंद्र को श्रेष्ठ पुरुष क्यों नहीं मानते आप के साथ प्रार्थना करने को मैं तैयार हूं, फिर आप मेरे साथ प्रार्थना क्यों नहीं करते? कुछ लोगों ने हमारी बातें मानी। लेकिन कुछ ने कहा आप हिंदू अपमानित हैं, पददलित हैं, ऐसे लोगों के साथ होने में क्या फायदा? हमारी भूमिका विरोध की नहीं है। समान सद्गुणी और शक्तिशाली बनें, एक दूसरे के सुख-दुख का

स्पर्श हो, एक दूसरे को लेकर कार्य प्रेरणा मिले, हम यह कार्य कर रहे हैं। हम शक्तिशाली बनें, यदि कोई हमें थूकने लगेगा, हम सहन नहीं करेंगे। आज तक हमने भरण-पोषण-पालन किया इसलिए यह भारत कहलाया। आप पर कृपा करने की दृष्टि से नहीं। आप हमारे भाई हैं, इसलिए हम आपका पालन-पोषण करेंगे। हम सबको यह कहना चाहते हैं, परंतु यह स्थिति अभी नहीं है।

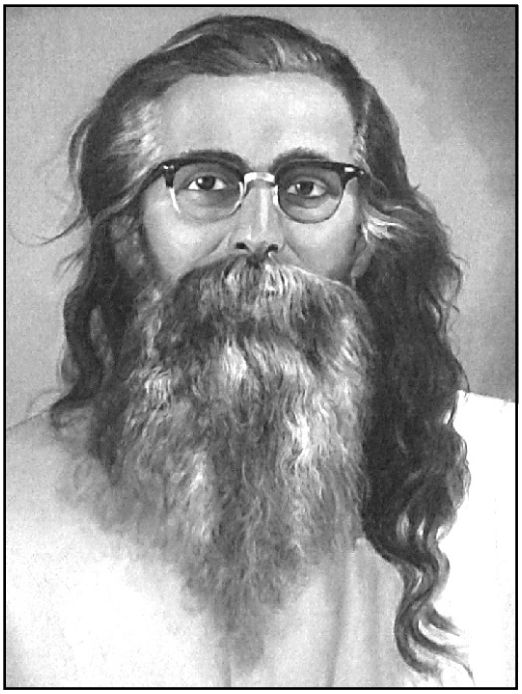

विनोबाजी : आपकी बहुत सी बातें मुझे मंजूर हैं। लेकिन सवाल यह है कि हिन्दू कहने से आपकी आंखों के सामने जो चित्र खड़ा होता है और मानव कहने से जो चित्र खड़ा रहता है, उन दोनों में क्या कोई अंतर है ? अगर है, तो इस विज्ञान के युग में वह बाधक साबित होगा। प्रथम हम मानव हैं। और मानवता के नाते जो कर्तव्य है वह हमारा पहला कर्तव्य है। उपासना के नाम का कर्तव्य बाद में आएगा। दर्शन, संप्रदाय आदि से आने वाले कर्तव्य बाद में आते हैं। इनको एक ओर रख कर, मानवता को न खोते हुए, उपासना करनी चाहिए। उपासना यानी 'मानवता प्लस' कुछ होना चाहिए। उपासना यानी 'मानवता माइनस' कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल होता है कि हिन्दू या मुसलमान के अर्थ होते हैं मानवता से कुछ कम, लेकिन होना चाहिए मानवता से कुछ अधिक। ऐसा होगा तब उपासना तथा दार्शनिक भेद तो रहेंगे पर वे गौण होंगे। प्रार्थना के समय मुंह किस दिशा में हो, इसका उपासना से कोई संबंध नहीं। यह रस्म-रिवाज है जो गौण है। धार्मिकता का अर्थ सच्ची ईश्वर भक्ति है। मानवता कम पड़ेगी तो कोई भी धर्म टिकेगा नहीं। यह मानकर कि हम सब एक हैं, विचार विनिमय करना चाहिए। आज इतना तो होने दें हम सब मानवता को मानने वाले एक हैं।

गुरुजी : केवल धर्म का सवाल होता तो बात अलग थी। लेकिन यहां तो व्यवहार दाखिल होता है। मानवता कहने से कई सवाल उत्पन्न होते हैं। साधारण मनुष्य में तो उस पर अमल करने की क्षमता नहीं होती। हिन्दू धर्म 'एक्सक्लूसिव' नहीं है। हम कहते हैं, 'पृथिव्यां सर्व मानवा:'।

विनोबाजी : मुसलमान भी यही कहते हैं, पूरी दुनिया को वे अपनी मानते हैं।

गुरुजी : लेकिन उनका तो एक पैगंबर है, एक ग्रंथ है।

विनोबाजी : कुरान पढ़ने पर पता चलता है कि ऐसी बात है नहीं।

गुरुजी : कुरान की बात अलग है और अनुभव अलग है।

विनोबाजी : अनुभव हिंदुओं के बारे में भी क्या है ? हम एक ओर अद्वैत मानते हैं, दूसरी ओर जातिभेद और छूआछूत का भेद। मूल इस्लाम और हमारे धर्म में अंतर केवल इतना ही है कि हमारा सर्वोच्च तत्वज्ञान निर्गुण निराकार का है, उनका सगुण निराकार का। उनका दावा है कि वे जाति भेदों को नहीं मानते, डमोक्रेसी को मानते हैं, राष्ट्र जैसी चीज को नहीं मानते, सब जमातों को सामाजिक अधिकार देते हैं। यह हुई तत्वज्ञान की बात, आचरण की बात अलग है।

गुरुजी : समस्याएं तो वहीं उपस्थित होती हैं।

विनोबाजी : आचरण का यह भेद तो सभी में दिखाई देता है। इसलिए आप और हम जैसों को संकल्प लेना चाहिए कि मानवता के लिए काम करेंगे और दूसरा कोई काम करेंगे वह 'मानवता प्लस' कुछ होगा। मानवता से कम कुछ चलेगा नहीं। आप कहते हैं कि इसमें बाधा स्वार्थ की आती है। हम लोगों को समझायें कि आप जो कर रहे हैं वह स्वार्थ नहीं है।

गुरुजी : लेकिन लोगों को वह जंचता नहीं।

विनोबाजी : अगर लोगों को जंचता, तो गोलवलकरजी के लिए और विनोबा के लिए कोई काम ही नहीं बचता। इसलिए लोगों को समझना, जंचाना आपका और हमारा काम है। आपने अभी कहा कि हम केवल सहिष्णु नहीं, सत्कारवादी हैं। गांधीजी भी यही कहते थे।

एक बार आरएसस के लोगों ने हनुमान जयंती का उत्सव मनाया और मुझे बुलाया। मैं गया तो कांग्रेस वाले नाराज हो गए। मैंने उनसे पूछा, मैं गया कहां था, हनुमान जयंती के समारोह के लिए ही न ? आप ऐसे समारोह क्यों नहीं मनाते ? आप सेक्युलर हैं तो हनुमान जंयती मनाइये और पैगंबर जयंती, ख्रिस्त जयंती भी मनाइये। आप सब करें लेकिन आपने इस सभी को छोड़ दिया है। यह भी ठीक है, आप दूसरे काम करते हैं। लेकिन जहां जो अच्छा काम होता है, वहां मैं जाता हूं। जहां-जहां जो भी अच्छा अंश होता है, वह मैं ग्रहण करता हूं।

क्रमशः

प्रेरक कहानियाँ

साधना पथ

तीर्थाटन को जाने वाले कुछ ग्रामीण भाइयों ने संत तुकाराम से भी साथ चलने की प्रार्थना की। तुकारामजी ने अपनी असमर्थता प्रकट की। उन्होंने तीर्थयात्रियों को एक कड़वा घिया देते हुए कहा, 'कृपया इसे अपने साथ ले जायें और जहां-जहां भी जायें, इसे भी पवित्र जल में स्नान करा लायें।

ग्रामीणों ने उनके गूढ़ार्थ पर गौर किये बिना ही वह कड़वा घिया ले लिया। अपने साथ उसे भी विभिन्न तीर्थो में स्नान कराते और मंदिरों में दर्शन कराते हुए वे अपने गांव वापस लौट आये और उन्होंने वह घिया संत तुकाराम को दे दिया। तुकारामजी ने सफल तीर्थयात्रा के उपलक्ष्य में सबको प्रीतिभोज पर आमंत्रित किया। तीर्थयात्रियों को विविध पकवान परासे गये। तीर्थो में नहाये हुए घिया की तरकारी विशेष रूप से बनवायी गयी। जब उन लोगों ने उसे खाना शुरू किया तो सबने पाया कि वह तरकारी कड़वी है। तुकारामजी को जैसे घोर आश्चर्य हुआ हो, उन्होंने कहा, 'यह तकरारी कड़वी कैसे हो सकती है ? यह तो उसी घिया से बनी है, जो तीर्थस्नान कर आया है। बेशक तीर्थाटन से पहले कड़वा था, मगर आश्चर्य है कि तीर्थस्नान के बाद भी उसमें कड़वाहट विद्यमान है।

यह सुन उन तीर्थयात्रियों को बोध हुआ कि तीर्थाटन की अपेक्षा एक स्थान पर बैठकर प्रभु की श्रद्धापूर्वक वंदना करना ही श्रेयस्कर है।

आंतरिक पवित्रता

संत मेहंदी अब्बासी अपने भक्तों और संबंधियों की आंतरिक पवित्रता और शुद्धता पर बड़ा ही बल देते थे। उनकी मान्यता थी कि इसी से मनुष्य का भाग्य बनता है तथा उसे सुख-समृद्धि प्राप्त होती है। किंतु उनका एक संबंधी सदैव निर्धनता की दशा में ही रहता था और इसका मेंहदी को भी पता था, किंतु वे कहा करते, 'इसमें मेरा कोई दोष नहीं, दोष तो उसके भाग्य का है।' इस बात को सिद्ध करने के लिए एक दिन उन्होंने अपने भक्तों को आदेश दिया कि एक सोने का बटुआ एक पुल के बीचोंबीच ऐसे स्थान पर रख दिया जाए जहां से उसे बिलकुल साफ देख सके, फिर उस सम्बन्धी को किसी छोटे-मोटे काम के बहाने पुल पर से गुजरने का मौका दिया जाए।

वह व्यक्ति पुल पर से होकर आ गया, मगर उसने बटुआ देखा तक नहीं। पूछने पर उसने बताया कि पुल पर उसे एकाएक खयाल आया कि आंखें मूंदकर पुल पार किया जाय ताकि मालूम हो जाए कि कभी अंधा होने पर वह उस पुल को पार कर सकेगा या नहीं और इसलिए वह आते और जाते समय पुल पर आंखें बंद करके ही गुजरा था। तब सब लोगों को भाग्य की महत्ता प्रतीत हुई।

उत्तरदायित्व का प्रश्न

बात उन दिनों की है, जब विदर्भ, महाकोशल और छत्तीसगढ़ 'सी.पी.' कहलाता था तथा डॉ.खरे उसके मुख्यमंत्री थे। पं.रविशंकर शंकर एवं उनके साथियों से जब डॉ.खरे का मतभेद हुआ तो वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की एक जरूरी बैठक बुलायी गयी। उस समय यह समस्या उपस्थित हुई कि ऐसा व्यक्ति कौन है, जो मुख्यमंत्री के रूप में दोनों पक्षों को मान्य हो और जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का भी पूरा विश्वास हो। तब कृष्णदास जाजू का नाम सामने आया। उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए गांधीजी को भेजा गया। गांधीजी ने जाजूजी के पास प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने विचार करने के लिए समय मांगा। रात भर सोचने के बाद दूसरे दिन जाजूजी ने स्पष्ट रूप से गांधीजी से कह दिया, 'यह पद मेरे लिए अयोग्य है, मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता।'

बाद में रिषभदास रांका ने जाजूजी से पूछा, 'जब गांधीजी स्वयं प्रस्ताव लेकर आये थे और आपके द्वारा पद ग्रहण करने से प्रांत का हित होने वाला था, तो आपने अस्वीकृति क्यों दी ?' जाजूजी बोले, 'बात यह है कि मुख्यमंत्री बनने पर मंत्रिमंडल के साथियों तथा विधायकों को राजी रखे बिना राज्य व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चल सकती और सबको राजी रखने में अपने सिद्धांतों को ताक पर रखना पड़ता है, जो मुझसे हो नहीं सकता और इसीलिए मैंने अस्वीकृति दे दी।

दानवीरता

राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन राज्यसभा के सदस्य थे। एक बार अपने भत्ते का चेक लेने के बाद वे राज्यसभा के कार्यालय में गये। समीप खड़े एक सज्जन से उन्होंने फाउंटेनपेन लेकर वह चेक 'लोकसेवा मंडल' के नाम लिख दिया। इन महोदय ने जो देखा, तो उनसे न रहा गया, बोले, 'टंडनजी आपको भत्ते को मुश्किल से चार सौ रुपये मिले हैं, उन्हें भी आपने लोकसेवा मंडल को दे डाला ?'

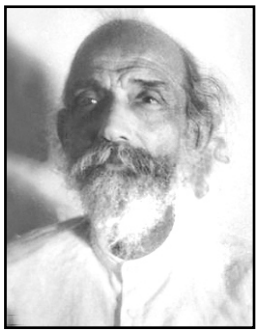

पेन वापस करते हुए टंडनजी कहने लगे, 'देखो भाई, मेरे सात लड़के हैं और सातों अच्छी तरह कमाते हैं। मैंने प्रत्येक पर सौ रुपये का 'कर' लगा रखा है। इस प्रकार प्रति मास मुझे सात सौ रुपये मिल जाते हैं। इनमें से मुश्किल से तीन-चार सौ रुपये व्यय होते हैं। शेष रकम भी मैं 'लोकसेवा मंडल' को भेज देता हूं। इन पैसों का मैं करूंगा भी क्या ?'

पण्डित जवाहरलाल नेहरू और पशुपालन

पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री बनने के 17 वर्ष बाद दिसंबर 1963 में भारतीय संसद के सामने बोलते हुए कहा था :

साथ ही मैं गांधीजी की कार्य-पद्धति का अधिकाधिक विचार करने लगता हूं। इस बारे में उनका नाम लेना अटपटा लगेगा, क्योंकि मैं आधुनिक यंत्रों का पूरा-पूरा प्रशंसक और समर्थक हूं और मैं चाहता हूं कि उत्तमोत्तम यंत्रों और तकनीक को हम अपनायें, भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, यथासंभव शीघ्र गति से, हम इस यंत्रयुग में प्रगति करते बढ़ें। हम बढ़ेंगे ही, फिर भी यह एक वास्तविक तथ्य है कि अभी तक हमारे देश के बहुत बड़े समाज को उसका स्पर्श नहीं हो सका है, और बहुत लंबी अवधि तक स्पर्श होता दिखता भी नहीं। हमें कोई दूसरी पद्धति अपनानी होगी, ताकि वे ग्रामीण लोग भी उत्पादन में भाग लें। उनके औजार आधुनिक तकनीक की तुलना में भले ही पुराने हों, कम क्षमतावान हों, फिर भी यदि वे खुद होकर देश के विकास में न लगें, उनका हम उपयोग न करें, तो हमारा प्रयत्न व्यर्थ जाएगा। हमें समझ लेना चाहिए कि अपने इन गरीब ग्रामीणों का हमें अधिक विचार करना होगा और उनकी स्थिति यथाशीघ्र सुधारने के लिए कुछ-न-कुछ करना होगा। यह प्रश्न मुझे बहुत परेशान करता है।''

आखिर यह प्रश्न मुख्यत: कृषक समूह से संबंधित है, लेकिन मैं सोचता हूं, उस कृषि के साथ जब तक कोई पूरक उद्योग जुड़ता नहीं, तब तक प्राय: शीघ्र परिणाम नहीं होनेवाला है। मेरे ख्याल से पशुपालन एक ऐसा उद्योग है, जिसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है और वह कृषि के साथ जोड़ा जा सकता है।

स्वास्थ्य समाचार

सर्वोदय सेवक और गोविभा के संपादक श्री नरेंद्र दुबे का स्वास्थ्य सुधार पर है। इस दिसंबर में उन्हें पूरा एक वर्ष हो गया है। उनका प्रवासी मन उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रेरित करता है। अपनी संकेत भाषा और ओम् के लघु–दीर्घ उच्चार से अपनी आवश्यकताएं बताते हैं। सर्वोदय जगत तथा खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र के समाचारों को न सिर्फ ध्यान से सुनते हैं, बल्कि इशारों से अपनी सहमति अथवा असहमति भी व्यक्त करते हैं। पुष्पा बहन प्रतिदिन उन्हें नजदीक के अस्पताल में फीजियो थेरेपी के लिए ले जाती हैं। विगत दिनों ऑटो रिक्शा में बैठकर वर्षो के साथी श्री रसिकेशकृष्ण शर्मा से मिलने के लिए उनके घर गए। उनकी पोती प्रकृति स्कूल से आने के बाद उनके साथ अनेक प्रकार के खेल खेलती है। शाम को उन्हें बाहर घुमाने के लिए व्हील चेयर तैयार करती है। फिर किसी बड़े को साथ में लेकर घुमाने निकल जाती है। बीच में वह अपने बाबा से अनेक प्रश्न करती है और इशारों में उनसे जवाब पाती है। वह कहती है कि बाबा सब कुछ समझते हैं। वे कौन बनेगा करोड़पति नियमित रूप से देखते हैं। हम सभी उनसे सही उत्तर पूछते हैं तो वे अपनी उंगलियों के इशारे से बताते हैं जो अमूमन सही निकलता है। ईश्वर की कृपा, पुष्पा बहन की सेवा और उनके स्वयं के आत्मविश्वास से वे सामान्य जीवन की ओर अग्रसर हैं। वाणी आना अभी शेष है।

निधन

गुजरात के वरिष्ठ सर्वोदय सेवक श्री जगदीश भाई लाखिया का विगत दिनों निधन हो गया। वे अन्तिम समय तक गरीब बेजमीनों की आवाज़ उठाते रहे। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे। गोविभा परिवार की ओर उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि।

प्रकाशक :
नरेन्द्र दुबे, कार्याध्यक्ष, गोविज्ञान भारती
द्वारा मुंबई सर्वोदय मण्डल, 299, ताड़देव रोड, नानाचौक
मुंबई-400 007, फोन : (022) 23872061

डी-37, सुदामा नगर, इन्दौर-452 009
फोन : 0731-2489475, मो.: 97542 20781
www.govigyan.org ● e-mail : vinobaji1@gmail.com
prof.pushpendra@gmail.com

मुद्रण : श्रीकृति ग्राफिक्स, बी-133, सुदामानगर, इन्दौर
मो.: 98269 51703

वार्षिक शुल्क : रु. 50 एक प्रति : रु. 5

गोविभा
रजि. MPHIN/2003/11246
पोस्टल रजि.आई.सी.डी. (एम.पी.) 1106/12-14

सेवा में,